UPSH010008012026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या–14/2026

धर्मेन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम रामसागर

दिनांक: 06–04–2026

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वास्ते सुनवाई प्रस्तुत हुआ। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी आवेदक न तो स्वयं और न ही उसकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हैं। जबकि विपक्षी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र मुख्य रूप से न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), पुवायाँ, शाहजहाँपुर के रिक्त होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा शीघ्र ही पदभार ग्रहण कर लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वर्तमान में निष्प्रयोज्य हो चुका है। अत: उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना एवं प्रार्थनापत्र का समग्र अवलोकन किया।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र मुख्य रूप से न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), पुवायाँ, शाहजहाँपुर के रिक्त होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा शीघ्र ही पदभार ग्रहण कर लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत स्थानान्तरण निष्प्रयोज्य हो गया है। अत: आवेदक की अनुपस्थिति एवं स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत **दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या–14/2026, धर्मेन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम रामसागर**, एतद्‌द्वारा अनुपस्थिति व निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06–04–2026

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

Digitally signed by Vishnu Kumar Sharma
Date: 2026.04.07 10:25:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court